परफोर्मा पक्षकार होने से विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्य वादी में वकील वादी ने नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 मौजा गडरिया के खाता संख्या 76 प्रदर्ष–1 कराई। वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर से इकबाली जवाब दावा एवं राजीनामा पेश होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने वादपत्र को डिक्री किये जाने में सहमति दौराने बहस व्यक्त की। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंषिकतः ताईद होती है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण संख्या 4, 5, 6 क्रमश गंगादेवी, मनोहरी देवी एवं मोनिका ने उक्त खेताय से अपना सम्पूर्ण हिस्से का त्याग कर रहे हे एवं दावा वास्ते विभाजन व घोषणा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किाय गया है। अतः हमारी राय में यह मामला हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण का है अतः हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प ड्यूटि तहसीलदार डेह के पास जमा होने पर अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी मुकेश छिरंग के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गडरिया के खेत खसरा नम्बर 334/82 रकबा 5.3337 हैक्टेयर में से रकबा 2.6669 हैक्टेयर पूर्वी दिशा की तरफ माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 दुर्जाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गडरिया के खेत खसरा नम्बर 80/328 रकबा 0.2590 हैक्टेयर पूरा खेत एवं खसरा नम्बर 534/220 रकबा 0.1056 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 महावीर छिरंग के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गडरिया के खेत खसरा नम्बर 334/82 रकबा 5.3337 हैक्टेयर में से रकबा 2.6668 हैक्टेयर पश्चिमि हिस्सा माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
4. प्रतिवादी संख्या 3 जगदीशराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गडरिया के खेत खसरा नम्बर 539/220 रकबा 1.9017 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
5. प्रतिवादी संख्या 1 व 3 दुर्जाराम व जगदीशराम के सह हक बंट कब्जे काश्त में मौजा गडरिया के खेत खसरा नम्बर 535/220 रकबा 1.0521 हैक्टेयर में से क्रमशः 410/1503 व 1093/1503 हिस्सा सहखातेदारी में रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा की जाती है।
6. प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6 क्रमश गंगादेवी, मनोहरी देवी एवं मोनिका के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामंद की कार्यवाही करें।

वाद पत्र के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 26.12.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner